प्रेषक,

सुरेन्द्र कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन, उ0प्र0,
लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 04 फरवरी, 2021

विषय: आर0सी०एस0 में चयनित राजकीय हवाईपट्टी आजमगढ़ के बकाया विदयुत बिल भुगतान हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

निदेशक, नागरिक उड्डयन के पत्र संख्या: 409/ना० उ०नि०/ह०प०आजमगढ़। दिनांक 09 दिसम्बर, 2020 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके माध्यम से आर0सी0एस0 में चयनित राजकीय हवाईपट्टी आजमगढ़ के बकाया विदयुत बिल भुगतान हेतु रू0 18,98,998/- (रूपये अट्ठारह लाख अट्ठान्नबे हजार नौ सौ अट्ठान्नबे मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अन्तर्गत चयनित राजकीय हवाईपट्टी आजमगढ़ के बकाया विदयुत बिल भुगतान हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में रू0 18,98,998/- (रूपये अट्ठारह लाख अदट्ठान्नबे हजार नौ सौ अट्ठान्नबे मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं।

I. निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जाएगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जाएगा।
II. उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण एवं व्यय से सम्बन्धित पक्षों द्वारा वित्तीय नियमों/ आदेशों/ प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
III. धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा।
IV. स्वीकृत धनराशि व्यय किए जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग 1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 24 मार्च, 2020 एवं दिनांक 18 मई, 2020 द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
V. आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण-पत्र यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।
VI. स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जाएगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

2/--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

VII. निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/ स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि को आवंटित कर तत्काल जिलाधिकारी, आजमगढ़ के निवर्तन पर रखा जायेगा और यथा आवश्यकता समय-समय पर सम्बन्धित पक्षों को नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

4- जिलाधिकारी, आजमगढ़ द्वारा उपर्युक्तानुसार कार्यवाही करने के पश्चात् निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ को यथासमय सूचित किया जाएगा तथा निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ शासन को इस सम्बन्ध में आख्या उपलब्ध करायेंगे।

5- उपर्युक्त पर होने वाला अनुदान संख्या- 38 चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के राजस्व लेखा-लेखाशीर्ष "3053-नागर विमानन-01-हवाई सेवाएँ-800-अन्य व्यय-03-उत्तर प्रदेश नागर विमानन प्रोत्साहन नीति, 2017 तथा रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-7-225/दस-2021 दिनांक 03 फरवरी, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
सुरेन्द्र कुमार
अनु सचिव।

संख्या-13/2021/2345(1)/छप्पन-2020-04/2005, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. उप महालेखाकार/ई0एस0-III,आडिट भवन, टी0सी0-35-वी-1,विभूति खण्ड, गोमती नगर लखनऊ।
3. मण्डलायुक्त, आजमगढ़।
4. जिलाधिकारी, आजमगढ़।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ / वरिष्ठ कोषाधिकारी, आजगगढ़।
6. वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7 / नियोजन अनुभाग-4।
7. निजी सचिव, मा0 नागरिक उड्डयन मंत्री, उत्तर प्रदेश।
8. समीक्षा अधिकारी (बजट)।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
सुरेन्द्र कुमार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।